



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2006/भाद्र 10, 1928

No. 411]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2006/BHADRA 10, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 527(अ).— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद का नाम, उसकी संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट है।

3. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें—(1) अध्यक्ष का वेतनमान वह होगा जो अनुसूची के स्तंभ 4 में निर्दिष्ट है।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्समान वेतनमान के पदों को धारण करने वाले किसी अधिकारी को लागू तत्-समय प्रवृत्त नियम और आदेश बोर्ड के अध्यक्ष के भत्तों, छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि वेतन भविष्य निधि उपदान अधिवर्षिता की आयु, सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत सेवाओं की शर्तों का विनियमन करेंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्ष का लाभ स्वीकार्य है।
1	2	3	4	5	6
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	एक *	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसूचित	पुनर्शिक्षित 22,400-525- 24,500 रुपए	चयन	लागू नहीं

*(2006)कार्यभार की निर्भरता को देखते हुए

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।
7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिीक्षा अवधि, यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
10	11
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	
12	
केंद्रीय/राज्य सरकारें/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्तशासी या अर्द्ध सरकारी या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी,—	
(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया है या	
(ii) जिन्होंने 18,400-22,400/- के वेतनमान में 3 वर्षों की नियमित सेवा या समतुल्य और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता है—	
(ख) (i) पर्यावरणीय विज्ञान में पी.एच.डी./प्रौद्योगिकी इंजिनियरी (पर्यावरणीय रसायनिक, लोक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री और	
(ii) सरकारी विभागों/संस्थाओं/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों में पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव अथवा ऐसे मामलों में व्यवहार करने का प्रशासनिक संस्थाओं में प्रबंधक स्तर पर 15 वर्ष का अनुभव	
वांछनीय :	
(क) पीअर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशन का सशक्त अभिलेख	
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन	
टिप्पण :— रिक्त पदों से संबंधित परिपत्र/विज्ञापन की अंतिम तारीख के अनुसार प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा 56 वर्ष (केंद्रीय/राज्य सरकार के अंतर्गत इस नियुक्ति के तुरंत पूर्व अन्य बाह्य संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका गठन क्या है ।	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए. 12018/1/2006-सीपीडब्ल्यू]

कै. वी. मैथ्यु, उप सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2006

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section 2 of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (6 of 1974) the Central Government hereby makes the following rules for regulating the terms and conditions of service of the Chairman in the Central Pollution Control Board namely:-

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Chairman Central Pollution Control Board Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The name of the post, number, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (1) to (3) of the Schedule attached to these rules.

3. Pay, allowances, leave and other conditions of service of Chairman Central Pollution Control Board - (1) The scale of pay of Chairman shall be as specified in column (4) of Schedule.

(2) The rules and orders for the time being in force applicable to an officer holding posts of the corresponding scale of pay under the Central Government, shall regulate the conditions of service in respect of allowance, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service of the Chairman of the Board.

4. Method of recruitment, age limits and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification:- No Person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax: - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Schedule Caste/Schedule Tribe/Other Backward Classes/Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether select-ion post or non-selection post
1	2	3	4	5
Chairman, Central Pollution Control Board	One*	General Central Service-Group-A Gazetted Non-Ministerial	(Revised) Rs.22,400-525-24,500	Selection

* (2006) subject to variation dependent on workload

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment - Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled in by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation.(including Short-Term-Contract)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Officers under the Central/State governments/Public Sector Undertakings/Universities/ Recognized Research Institutions or Autonomous or Semi Govt. Or Statutory Organisations- (a)(i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With 3 years regular service in posts in the scale of pay of Rs.18400-22400/- or equivalent and Possessing the following	Not applicable	Not applicable.

2720 GI/06-2

<p>educational qualifications and experience-</p> <p>(b)(i) Ph.D. in Environmental Science/M.Tech. in Engineering(Environ-Mental, Chemical, Public Health and</p> <p>(ii) 15 years experience in Govt. Departments/ Institutions/Central Public Sector Undertakings/ Universities at Managerial levels with practical experience in matters relating to environmental protection or experience in administering Institutions dealing with such matters.</p> <p>Desirable:</p> <p>A. Strong record of peer reviewed research publications.</p> <p>B. Organisation of training programmes for in-service personnel</p> <p>Note: Age limit for deputation 56 years as on closing date of vacancy Circular/ advertisement. (Period of deputation including period of deputation to other ex-cadre posts held immediately preceding this appointment under Central/State Govt. shall not ordinarily exceed 5 years).</p>		
---	--	--

[F. No. A. 12018/1/2006-CPW]

K. V. MATHEW, Dy. Secy.